2010:CGHC:11412-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरमः माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री आर. एल. झंवर, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील क्रमांकः 1197/2003

नीलकंठ

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

एवं

दाण्डिक अपील क्रमांकः 145/2004

हीरालाल देवांगन

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ हेतु आदेश।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायमूर्ति

माननीय श्री आर. एल. झंवर, न्यायमूर्ति

सही/-
आर. एल. झंवर
न्यायमूर्ति

आदेश की उद्घोषणा के लिए सूचीबद्ध करें। दिनाँकः 08-03-2010

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरमः माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री आर. एल. झंवर, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील क्रमांकः 1197/2003

अपीलार्थी
(अभिरक्षा में)

नीलकंठ पिता – विष्णु दास सतनामी, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम धौराभाटा, पुलिस थाना- नवागढ़, जी. कैबिन, बस्ती चरोदा, भिलाई, जिला दुर्ग।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य

एवं

दाण्डिक अपील क्रमांकः 145/2004

अपीलार्थी
(अभिरक्षा में)

हीरालाल देवांगन पिता - तेताकुराम, उम्र 36 वर्ष, निवासी जी. कैबिन, बस्ती चरोदा, पुलिस थाना जी.आर.पी. भिलाई, चौकी चरोदा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य

(भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374(2) के अधीन प्रस्तुत दाण्डिक अपीलें)

<u>उपस्थित:-</u> दाण्डिक अपील क्रमांक: 1197/2003 में अपीलार्थी की ओर से – श्री यू.के. सिंह चंदेल,

अधिवक्ता।

दाण्डिक अपील क्रमांक: 145/2004 में अपीलार्थी की ओर से – श्री सूर्यकांत मिश्रा,

अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से – श्री राकेश कुमार झा, उप- शासकीय अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 08 मार्च, 2010 को पारित किया गया)

निम्नलिखित निर्णय **माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति** द्वारा पारित किया गया: -

1. चूंकि उपर्युक्त दोनों दाण्डिक अपीलें, दिनांक 26-9-2003 को पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 249/2002 में पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश के एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, अतः इनका निराकरण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. इन अपीलों में, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 249/2002 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश दिनांक 26-9-2003 को चुनौती देने के लिए है, जिसके अंतर्गत विद्वान् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं नीलकंठ और हीरालाल देवांगन को गिरिजा बाई के, हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध कारित करने के लिए दोषी ठहराते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया और प्रत्येक को आजीवन कारावास का दण्ड भुगतने एवं 500/- रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है, तथा जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया है।

3. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी साक्ष्य के बिना, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त अनुसार दोषी ठहराते हुए दण्डित किया है।

4. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलकर्ता नीलकंठ को अपनी भाभी (गिरिजा बाई, जो अब मृत हैं) से इस कारण द्वेष था कि वह अन्य व्यक्तियों के करीब थीं। इससे पूर्व, अपीलकर्ता नीलकंठ ने गिरिजा बाई को धमकी दी थी कि

वह उसे मार देगा। दिनांक 13-7-2002 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन, नीलकंठ ने दिन के दौरान गिरिजा बाई से झगड़ा किया और रात 10 बजे गिरिजा बाई अपने घर में थी, जबकि अपीलकर्ता नीलकंठ भी उसी घर में उपस्थित था। दिनांक 14-7-2002 को, दूसरे दिन सुबह लगभग 7 बजे, आस-पास के लोगों ने देखा कि गिरिजा बाई के घर का दरवाजा खुला था, और गिरिजा बाई का मृत शरीर चारपाई पर पड़ा हुआ था एवं अपीलकर्ता नीलकंठ भी कमरे में उपस्थित था, वह साड़ी से बंधा हुआ था और उसके मुँह में कपड़ा ठूसा हुआ था, जिसे आसानी से हटाया जा सकता था। कौशल्या बाई (अ.सा. 1), जिसने पहली बार घटना देखी, ने पड़ोसियों को बुलाया। उन्होंने नीलकंठ के शरीर से साड़ी और कपड़ा हटा दिया और उसे बाहर निकाला। वे उसे चिकित्सालय भी ले गए। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 के अधीन दर्ज की गई। प्रदर्श पी-5ए के अधीन मर्ग दर्ज की गई। साक्षियों को प्रदर्श पी-6 के अधीन तलब करने के उपरांत, गिरिजा बाई के शव मृत्यु परीक्षा, प्रपत्र प्रदर्श पी-7 के अधीन तैयार किया गया और शव को जिला चिकित्सालय, दुर्ग, शव परीक्षण हेतु भेजा गया। डॉ. ए.पी. सावंत (अ.सा. 3) ने शव परीक्षण प्रदर्श पी-4ए के अधीन किया और निम्नलिखित चोटें पाई:

(i) गले के दाहिने हिस्से पर 2 1/2 सेंटीमीटर X 1 सेंटीमीटर आकार का चोट से उत्पन्न नीला निशान, जो थायरॉइड उपास्थि(कार्टिलेज) स्तर तक था।

(ii) ठोड़ी (जबड़े) के नीचे और गले के ऊपर 3/4 सेंटीमीटर X 1/2 सेंटीमीटर आकार का खरोंच/रगड़।

(iii) गले के बाएं हिस्से पर 1 1/2 सेंटीमीटर X 3/4 सेंटीमीटर आकार का चोट से उत्पन्न नीला निशान।

(iv) गले पर 1 सेंटीमीटर X 1/2 सेंटीमीटर आकार का चोट से उत्पन्न नीला निशान।

(v) गले के बाएं हिस्से पर 2 सेंटीमीटर X 1 सेंटीमीटर आकार का चोट से उत्पन्न नीला निशान।

(vi) क्रिकोइड अस्थि का अस्थिभंग और श्वासनली में संकुचन पाया गया।

मृत्यु का कारण गला घोंटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध था। अन्वेषण के दौरान, अपीलकर्ता नीलकंठ का परीक्षण डॉ. श्रीमती कल्पना कर्मा (अ.सा. 2) द्वारा किया गया, जो प्रदर्श पी-2 के अधीन दर्ज है, और उन्होंने पाया कि उसके शरीर पर कोई दृश्यमान चोट नहीं थी, लेकिन वह पेट में दर्द और कमजोरी की शिकायत कर रहा था। अपीलकर्ता नीलकंठ को चिकित्सालय में भर्ती किया गया और उसे चिकित्सालय से छुट्टी दे दिया गया। उसका बेड हेड टिकट प्रदर्श पी-3 है। अन्वेषण के दौरान, अपीलकर्ता हीरालाल को अभिरक्षा में लिया गया। उसने मंगलसूत्र, पायल की जोड़ी, चांदी की चूड़ियों की जोड़ी और करधन के बारे में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकटीकरण कथन किया, जो प्रदर्श पी-4 के अधीन दर्ज है। उसने उक्त सामाग्री को कुएं से निकालकर प्रस्तुत किया और ये सामाग्री प्रदर्श पी-5 के अधीन बरामद किए गए। इन सामाग्रियों/वस्तुओं की पहचान मृतक गिरिजा बाई के पति मेघनाद और एक शंकर नाम के व्यक्ति द्वारा की गई, जो प्रदर्श पी-6 के अधीन दर्ज है। घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी-8 के अधीन तैयार किया गया। मृतक के शव परीक्षण के बाद विसरा और अन्य सामाग्री प्रदर्श पी-9 के अधीन जब्त किए गए। अपीलकर्ता नीलकंठ से प्रदर्श पी-11 के अधीन साड़ी और गमछा जब्त किया गया। शव परीक्षण के दौरान, गिरिजा बाई के वैजाइनल स्मीयर (योनि से लिया गया कोशिका नमूना) स्लाइड पर लिया गया तथा उस स्लाइड का परीक्षण किया गया, और उस स्लाइड्स पर कोई शुक्राणु नहीं पाए गए, जिसका प्रतिवेदन प्रदर्श पी-12 के अधीन दर्ज है। विसरा का परीक्षण भी फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा किया गया और उसमें कोई विषाक्त पदार्थ नहीं पाया गया, जिसका प्रतिवेदन प्रदर्श पी-16 के अधीन दर्ज है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. साक्षियों के कथन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अधीन दर्ज किए गए और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात, अभियोग-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने इस मामले को सत्र न्यायालय, दुर्ग में स्थानांतरित कर दिया, जहाँ से यह प्रकरण विचारण हेतु पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ।

6. अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल बारह साक्षियों का परीक्षण किया है। अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रकट परिस्थितियों का खंडन करते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फँसाया जाने का कथन किया।

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त तरीके से दोषसिद्ध और दण्डित किया।

8. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनें, आलोच्य निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान् अधिवक्ता ने आवेशी तरीके से तर्क किया कि दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं को विचाराधीन अपराध से जोड़ने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

अपीलकर्ताओं पर यह दायित्व नहीं था कि वे यह बताएं कि गिरिजा बाई की मृत्यु कैसे हुई। अपीलकर्ता नीलकंठ मृतक के रिश्तेदार हैं, लेकिन अपीलकर्ता हीरालाल एक अजनबी हैं और उनके पास अपराध करने का कोई द्वेष या उद्देश्य नहीं था। किसी भी साक्ष्य के अभाव में, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और दण्डादेश विधि के अधीन कायम नहीं रह सकती।

10. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान् अधिवक्ता ने अपीलों का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। अपीलकर्ता नीलकंठ घटना के समय और तिथि पर घर में उपस्थित था, उसने झूठी सफाई दी और स्वयं को अभियोजन से बचाने के उद्देश्य से उसने स्वयं को बांध लिया और अपने मुँह में कपड़ा डाल दिया जिससे यह दर्शाया जा सके कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध कारित किया है, इस प्रकार उसने झूठी सफाई दी।

11. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों को समझने के लिए, हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का परीक्षण किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. वर्तमान प्रकरण में, मृतक गिरिजा बाई को कारित, मृत्यु पूर्व घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुए मानव वध को वास्तव में अपीलकर्ताओं द्वारा विवादित नहीं किया गया है, अन्यथा यह भी कि डॉ. ए.पी. सावंत (अ.सा.-3) के साक्ष्य और शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4ए से स्थापित है, जो यह दर्शाती है कि मृतक की मृत्यु गला घोंटने के परिणामस्वरूप हुई और मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी।

13. जहां तक अपीलकर्ताओं की अपराध में संलिप्तता का प्रश्न है, दोषसिद्धि निम्नलिखित परिस्थितियों पर आधारित है:

(1) अपीलकर्ता नीलकंठ को मृतक गिरिजा बाई से द्वेष था।

(2) अपीलकर्ता नीलकंठ मृतक गिरिजा बाई के घर में रहता था।

(3) घटना के दिन अपीलकर्ता नीलकंठ उसी घर में उपस्थित था जहाँ मृतक गिरिजा बाई का शव पाया गया।

(4) अपीलकर्ता नीलकंठ ने झूठा बचाव प्रस्तुत किया कि उसे साड़ी और अन्य कपड़ों से बांध दिया गया था।

14. कौशल्या बाई (अ.सा. 1) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि गिरिजा बाई (जो अब मृतक हैं) अपने पति और नीलकंठ के साथ उसी घर में रहती थी। घटना के दिन रात लगभग 9 बजे वह गिरिजा बाई के घर में उपस्थित थी, उस समय अपीलकर्ता नीलकंठ भी वहां उपस्थित था, जबकि गिरिजा बाई के पति वहां

2010:CGHC:11412-DB

उपस्थित नहीं थे। दूसरे दिन सुबह, उसने गिरिजा बाई के घर से पीड़ादायक दर्द की आवाज सुनी, जिस पर, वह गिरिजा बाई के घर गई, जहां अपीलकर्ता नीलकंठ चारपाई पर साड़ी से बंधा हुआ था और उसके मुँह में कपड़ा ठूसा हुआ था, फिर वह अपीलकर्ता हीरालाल के घर गई, जो गिरिजा बाई के घर के समीप था, और उसने हीरालाल को उपर्युक्त घटना के बारे में बताया, हीरालाल ने भी नीलकंठ को देखा और उसने अन्य लोगों को बुलाया, तब उन्होंने नीलकंठ के मुँह से कपड़ा हटाया। गिरिजा बाई का शव कमरे में पड़ा था। पुलिस आई और नीलकंठ के बंधन को खोला और उसे चिकित्सालय ले गई। कौशल्या बाई (अ.सा. 1) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित किया।

15. डॉ. श्रीमती कल्पना कर्मा (अ.सा. 2) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि दिनांक 14-7-2002 को उन्होंने नीलकंठ का परीक्षण किया, जो प्रदर्श पी-2 के अधीन दर्ज है, लेकिन उन्हें नीलकंठ के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली, वह पेट में दर्द और कमजोरी की शिकायत कर रहा था। उन्होंने यह भी कथन किया है कि नीलकंठ को चिकित्सालय में भर्ती किया गया था, जो प्रदर्श पी-3 के अधीन दर्ज है, और वह स्वयं, चिकित्सकीय सलाह के विरुद्ध चिकित्सालय छोड़कर चला गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. मेघनाद (अ.सा. 4), मृतक के पति, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह अपनी पत्नी गिरिजा बाई और अपीलकर्ता नीलकंठ के साथ अपने घर में रहते थे। घटना के दिन केवल गिरिजा बाई और नीलकंठ घर में उपस्थित थे। घटना के बाद, उनका भाई शंकर उनके पैतृक घर आया, जहां वह उपस्थित थे और उसने घटना के बारे में बताया, जिसके बाद वह गांव चरोदा गए, जहां उनकी पत्नी के अंतिम संस्कार की क्रियाएं पहले ही संपन्न हो चुकी थीं और अपीलकर्ता नीलकंठ पुलिस थाने में था। उन्होंने आगे यह कथन किया है कि उनकी पत्नी चांदी की चूड़ियाँ (ऐंठी) और मंगलसूत्र पहनती थी। उन्होंने यह भी कथन किया है कि पुलिस अपीलकर्ता हीरालाल के घर के पास बैठी थी और उनके पास उनकी पत्नी के मंगलसूत्र और चांदी की चूड़ियाँ (ऐंठी) थीं। इस साक्षी ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित किया। उसने अपने प्रति-परीक्षण में, यह कथन किया है कि उसने अपनी पत्नी के आभूषणों की पहचान नहीं किया है।

17. एक और साक्षी रामरतन (अ.सा. 5) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन केवल इस हद तक किया कि उसने गिरिजा बाई का हत्या कारित किया हुआ शव

और अपीलकर्ता नीलकंठ को चारपाई से साड़ी से बंधा हुआ उनके घर में देखा। उन्होंने आगे यह कथन किया है कि पुलिस ने अपीलकर्ता हीरालाल को उसके (हीरालाल के) ससुर नारायण के घर के पास कुएं के पास लाया, जहाँ से उन्होंने चांदी की चूड़ियां, चांदी का करधन, मंगलसूत्र और चाबी की छल्लियां पॉलिथीन और रुमाल में रखी हुई बरामद की। उसके प्रति-परीक्षण में, उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उपर्युक्त वस्तुएं कुएं से बरामद नहीं की थीं। इंदल (अ.सा. 6) ने रामरतन (अ.सा. 5) के साक्ष्य का समर्थन किया है और प्रदर्श पी-4 - पुलिस के समक्ष किये कथन और प्रदर्श पी-5 - वस्तुओं की जब्ती पर, अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए है।

18. शिवकुमार पांडे (अ.सा. 9) - उप निरीक्षक ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि हीरालाल को गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने उससे पूछताछ की, जिसमें अपीलकर्ता हीरालाल ने रुमाल में बंधे आभूषणों के संबंध में, प्रदर्श पी-4 के अधीन संस्वीकृति कथन किया है और हीरालाल की निशानदेही पर उन्होंने कुएं से गहने और रुमाल बरामद किए है, जो प्रदर्श पी-5 के अधीन दर्ज हैं। बचाव पक्ष ने इस साक्षी की लंबी प्रति-परीक्षा की है, लेकिन वह अपीलकर्ता हीरालाल द्वारा किए गए संस्वीकृति कथन और हीरालाल की निशानदेही पर बरामद की गई वस्तुओं के संबंध में उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय सिद्ध करने के लिए, कोई भी तथ्य प्रकाश में लाने में असमर्थ रहें हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. शिवराम पांडे (अ.सा. 11) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अपीलकर्ता नीलकंठ और मृतक गिरिजा बाई हमेशा झगड़ते रहते थे, अपीलकर्ता नीलकंठ गिरिजा बाई पर उसके चरित्र को लेकर संदेह करता था।

20. अभियोजन पक्ष ने मृतक गिरिजा बाई के भाई सुरेश कुमार (अ.सा. 12) का पहचान संबंधी प्रश्न पर परीक्षण किया है। सुरेश कुमार (अ.सा. 12) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने अपनी बहन गिरिजा के आभूषणों 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' की पहचान की है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके जीजा मेघनाद, जो गिरिजा बाई के पति हैं, ने भी उन आभूषणों की पहचान की है। लेकिन उसकी प्रति-परीक्षा के कण्डिका 6 में, उसने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे पहचान परीक्षण से पहले आभूषणों को दिखाया था।

21. वर्तमान मामले में, कौशल्या बाई (अ.सा. 1), रामरतन (अ.सा. 5), इंदल (अ.सा. 6) और शंकर लाल (अ.सा. 7) के साक्ष्यों से यह विवादित नहीं है कि घटना के दिन, गिरिजा बाई का मृत शरीर उसके घर में पाया गया था, अपीलकर्ता नीलकंठ

भी उसी घर में उपस्थित था, वह चारपाई से साड़ी से बंधा हुआ था और उसके मुँह में कपड़ा ठूसा हुआ था। डॉ. श्रीमती कल्पना कर्मा (अ.सा. 2) के साक्ष्य के अनुसार, नीलकंठ का परीक्षण किया गया था और उसके शरीर पर कोई दृश्यमान चोट नहीं पाई गई, वह पेट में दर्द और कमजोरी की शिकायत कर रहा था। अपीलकर्ता नीलकंठ ने अभियोजन पक्ष के साक्षियों की लंबी प्रति-परीक्षा की, लेकिन उसने इन साक्षियों से कुछ भी नहीं पूछा जिससे उनके साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके, खासकर इस तथ्य के संबंध में कि मृतक गिरिजा बाई की हत्या उसके घर में कारित नहीं की गई, जहां अपीलकर्ता नीलकंठ 13 और 14 जुलाई, 2002 की रात के बीच उपस्थित था। इन साक्षियों के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि नीलकंठ अपने घर में उपस्थित था, उसके हाथ साड़ी से चारपाई से बंधे हुए थे और उसके मुँह में कपड़ा ठूसा हुआ था, लेकिन अपीलकर्ता नीलकंठ के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करता है कि साड़ी और अन्य कपड़े नीलकंठ के हाथों और चेहरे से इतनी कसकर नहीं बांधे गए थे जिसके कारण उसके हांथों पर कोई रक्त का थक्का, चोट से उत्पन्न नीला निशान या खरोंच नहीं पाया गया, और यह आगे यह स्थापित करता है कि अपीलकर्ता नीलकंठ ने पूरी रात कोई प्रतिरोध नहीं किया, उसे किसी स्थिर वस्तु जैसे खंभे से नहीं बांधा गया था, बल्कि वह चारपाई से बंधा हुआ था जो आसानी से हिल सकती थी। हालांकि, अपीलकर्ता ने घटना के समय या उसके बाद, पर्याप्त समय के बाद भी साड़ी को हटाने या चारपाई के साथ कमरे से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। अपीलकर्ता नीलकंठ का पूरा व्यवहार अप्राकृतिक है और यह दिखाता है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी सहमति या इच्छा के बिना नहीं बांधा था, बल्कि कुछ कपड़े उसके हाथों में लपेटे गए थे और मुँह में ठूसे गए थे ताकि यह दिख सके कि वह बेबस था। अपीलकर्ता नीलकंठ घटना के समय घर में उपस्थित था, लेकिन उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि गिरिजा बाई को किसने चोट पहुँचाई, किसने उसके हाथ और मुँह बांधे और अपराध कारित होने के समय कौन उपस्थित था। अपराध गोपनीयता से कारित किया गया था। गिरिजा बाई और अपीलकर्ता नीलकंठ अपराध कारित होने के समय उपस्थित थे। अपीलकर्ता नीलकंठ पर यह दायित्व था कि वह यह स्पष्ट करे कि गिरिजा बाई की मृत्यु कैसे हुई, किसने उसे (गिरिजा बाई को) चोट पहुँचाई और किसने उसे (अपीलकर्ता नीलकंठ को) साड़ी से बांधकर मुँह में कपड़ा ठूसा। स्पष्टीकरण न देने के साथ-साथ उसका अप्राकृतिक आचरण, इस मामले में एक गंभीर और प्रतिकूल परिस्थिति है।

22. अभियोजन पक्ष ने एक और साक्ष्य का समूह, जो अपराध कारित होते समय मृतक द्वारा पहने गए आभूषणों की बरामदगी से संबंधित है, जो अपीलकर्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हीरालाल द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन किए गए संस्वीकृति कथन के आधार पर है, प्रस्तुत किया है।

23. शिवकुमार पांडे (अ.सा. 9) - उपनिरीक्षक ने अपने साक्ष्य में विशेष रूप से यह कथन किया है कि दिनांक 16-7-2002 को उन्होंने अपीलकर्ता हीरालाल को अभिरक्षा में लिया और उससे पूछताछ की। अपीलकर्ता हीरालाल ने आभूषणों से संबंधित एक संस्वीकृति कथन किया है, जो प्रदर्श पी-4 के रूप में दर्ज है। उन्होंने अपीलकर्ता हीरालाल को कुंए के पास ले जाकर एक पैकेट (पोटली) जिसमें आभूषण - सोने का मंगलसूत्र, चांदी की चूड़ियाँ, चांदी की पायल और चांदी की आधी करधनी शामिल थीं, बरामद की, जो अपीलकर्ता हीरालाल के निशानदेही पर प्रदर्श पी-5 के अधीन बरामद की गईं और इन्हें मृतक के पति द्वारा पहचाना गया। उन्होंने अपनी प्रति-परीक्षा में, इस सुझाव से इंकार किया कि अपीलकर्ता हीरालाल ने कोई संस्वीकृति कथन नहीं किया है और न ही उन्होंने उपरोक्त आभूषणों को ज़ब्त किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. रामरतन (अ.सा. 5) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि पुलिस अपीलकर्ता हीरालाल के साथ, उसके (हीरालाल के) ससुर नारायण के कुंए के पास आई और उन्होंने एक पोटली/पैकेट निकाला जिसमें चांदी के आभूषण, चांदी की चूड़ियाँ, करधन और सोने का मंगलसूत्र था। उनकी प्रति-परीक्षा के कण्डिका 5 में, उन्होंने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उपरोक्त आभूषणों को कुंए से नहीं निकाला है।

25. अन्य साक्षी इंदल (अ.सा. 6) ने यह कथन किया है कि हीरालाल ने प्रकटीकरण कथन किया और उसने स्वयं (अ.सा. 6) ने कुंए से आभूषणों वाली पोटली/पैकेट निकाली। अपनी प्रति-परीक्षा के कण्डिका 4 और 5 में उन्होंने विशेष रूप से यह कथन किया है कि आभूषण हीरालाल की निशानदेही पर, हीरालाल के ससुर नारायण के कुंए से बरामद किए गए थे। उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह कुंए के अंदर पानी में गए थे, पोटली को तलाशा और फिर उसे निकाला। विश्वनाथ देशलहरे (अ.सा. 8) ने भी प्रकटीकरण और बरामदगी के तथ्यों का समर्थन किया है।

26. शिवकुमार पांडे (अ.सा. 9), रामरतन (अ.सा. 5) और इंदल (अ.सा. 6) के साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलकर्ता हीरालाल ने आभूषणों के संबंध में संस्वीकृति कथन किया और हीरालाल की निशानदेही पर आभूषणों वाली पोटली नारायण के कुंए से, जो हीरालाल के घर के पास स्थित है, पानी के अंदर

से बरामद की गई। जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया, कुंआ खुला था, लेकिन पोटली दृश्यमान नहीं थी, वह पानी के नीचे थी। इंदल (अ.सा. 6) कुंए के अंदर गए और खोज करने के बाद पानी से पोटली निकाली। यह दिखाता है कि पोटली छिपी हुई स्थिति में थी और यह न तो अन्वेषण अधिकारी को पता थी, न ही किसी अन्य व्यक्ति को, सिवाय अपीलकर्ता हीरालाल के।

27. अपीलकर्ता हीरालाल के संस्वीकृति कथन के आधार पर केवल आभूषणों की बरामदगी, अपीलकर्ता को विचाराधीन अपराध से सम्बद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं कि या तो अपीलकर्ता ने आभूषणों को छिपाया है या उसे इस तथ्य का ज्ञान है कि किसी ने आभूषणों को कुंए में छिपाया है। आभूषणों को पहचान के लिए प्रस्तुत किया गया था और मेघनाद (अ.सा. 4) - मृतक के पति ने आभूषणों की पहचान की है। हालांकि, मेघनाद (अ.सा. 4) ने अपने साक्ष्य के कण्डिका 4 में यह कथन किया है कि पहले पुलिस ने उसे आभूषण दिखाए थे। फिर, कण्डिका 7 में उन्होंने यह कथन किया है कि जो आभूषण ज़ब्त किए गए थे, वे उसकी पत्नी के नहीं थे। शंकरलाल (अ.सा. 7) के आभूषणों की पहचान से संबंधित साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं हैं। सुरेश कुमार (अ.सा. 12) - मृतक के भाई ने यह कथन किया है कि उसने आभूषणों की पहचान प्रदर्श पी-6 के अधीन की है। लेकिन अपनी प्रति-परीक्षा के कण्डिका 6 में उसने विशेष रूप से स्वीकार किया कि पहचान परीक्षण के समय उसने आभूषणों को पहले पुलिस के सामने देखा था, हालांकि कण्डिका 3 में उसने, हीरालाल के प्रकटीकरण कथन के आधार पर ज़ब्त की गई वस्तुओं को जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, विशेष रूप से पहचाना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. परीक्षण पहचान की कार्यवाही किया जाना अनिवार्य नहीं है। परीक्षण पहचान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अन्वेषण सही दिशा में हो रही है। पहचान में देरी या पहचान परेड का न करना, हमेशा अभियोजन के लिए नुकसानदेह नहीं होता। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान, व्यक्ति और संपत्ति की पहचान एक पुष्ट साक्ष्य है।

29. उपरोक्त विधिक सिद्धांत के प्रकाश में, यदि हम सुरेश कुमार (अ.सा. 12) के साक्ष्य का परीक्षण करें, तो यह स्पष्ट होता है कि सुरेश कुमार (अ.सा. 12), जो कि गिरिजा बाई के भाई हैं, को अपनी बहन के आभूषणों को देखने का पर्याप्त अवसर मिला था और उसी अवसर के आधार पर उन्होंने आभूषणों की पहचान की, जैसे मंगलसूत्र, ऐंठी (चांदी की चूड़ियाँ) और पायल। उन्होंने विशेष रूप से यह कथन किया है कि वह करधन की पहचान करने में सक्षम नहीं थे, हालांकि उनकी बहन

के पास करधन था, लेकिन वह इसे अपने शरीर के निचले हिस्से में पहनती थीं, इसलिए उन्हें उसे देखने का स्पष्ट अवसर नहीं मिला। यह उनके स्वाभाविक व्यवहार को दर्शाता है। उनका साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है कि करधन को छोड़कर, अपीलकर्ता हीरालाल की निशानदेही पर बरामद किए गए अन्य आभूषण मृतक गिरिजा बाई के थे, जो वह घटना के समय पहने हुए थीं।

30. उपरोक्त आभूषण, दिनांक 16-7-2002 को, घटना के तीन दिन के अंदर बरामद किए गए हैं और अपीलकर्ता हीरालाल ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसे कैसे पता चला कि आभूषण कुंए में पानी के नीचे छिपे हुए थे और यह कथित आभूषण उनके कब्जे में कैसे पहुंचे। इस प्रकार से स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में, केवल यह अवधारण्य किया जा सकता है कि उसने घटना के दिन अर्थात 13 और 14 जुलाई, 2002 की मध्य रात्रि के बीच मृतक के शरीर से आभूषण निकाल लिए थे।

31. अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध निम्नलिखित परिस्थितियाँ स्थापित की हैं:

1. अपीलकर्ता नीलकंठ घटना के समय उस घर में उपस्थित था, जहाँ गिरिजा बाई भी उपस्थित थीं।

2. गिरिजा बाई की मृत्यु गंभीर चोटों के कारण हुई और उनकी 13 और 14 जुलाई, 2002 की मध्य रात्रि के बीच हत्या कारित की गई।

3. हालांकि अपीलकर्ता नीलकंठ के हाथ और मुँह कपड़ों से लपेटे गए थे, लेकिन वस्तुतः वह कपड़ों से बंधे नहीं थे।

4. अपीलकर्ता नीलकंठ के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई, उसने यह कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसे किसने बांधा और गिरिजा बाई की हत्या किसने कारित की।

5. अपीलकर्ता नीलकंठ घर में उपस्थित था और उस पर यह स्पष्ट करने का दायित्व था कि गिरिजा बाई की हत्या किसने कारित की।

6. आभूषणों को सह-अभियुक्त हीरालाल के संस्वीकृति कथन के आधार पर, जो अपीलकर्ता नीलकंठ का पड़ोसी है, घटना के तीन दिन के अंदर कुंए से बरामद किया गया।

7. आभूषणों की पहचान मृतक के भाई द्वारा मृतक गिरिजा बाई के आभूषणों के रूप में की गई।

8. अपीलकर्ता हीरालाल ने भी इन आभूषणों के वर्तमान के कब्जे के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जो गिरिजा बाई अपने जीवन-काल में पहने हुए थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. यदि उपरोक्त परिस्थितियों पर एक साथ विचार किया जाए, तो केवल अपीलकर्ता नीलकंठ और हीरालाल के विरुद्ध ही अपराध की परिकल्पना संभव होगी कि अपीलकर्ता नीलकंठ और हीरालाल वे व्यक्ति थे जिन्होंने मृतक गिरिजा बाई की हत्या कारित की है, यह उनकी निर्दोषता की संभावना को नकारता है और साथ ही अपीलकर्ताओं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हत्या कारित करने की संभावना को भी नकारता है। अपीलकर्ता नीलकंठ को गिरिजा बाई से उसकी चरित्र के कारण भी द्वेष था।

33. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विश्वास करने के पश्चात, विद्वान् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया है और प्रत्येक को आजीवन कारावास का दण्ड भुगतने एवं 500/- रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलकर्ता ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने गिरिजा बाई की हत्या कारित की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. साक्ष्यों की गहन समीक्षा करने पर, हमें आलोच्य निर्णय में हस्तक्षेप के अधिकार के लिए कोई अवैधता नहीं मिलती। दोनों अपीलें (दाण्डिक अपील क्रमांक 1197/2003 और 145/2004) निरर्थक हैं, ये खारिज किए जाने योग्य हैं और तदानुसार इन्हें खारिज किया जाता है। अपीलकर्ता हीरालाल जमानत पर हैं, वह दण्ड के शेष भाग को भुगतने के लिए तत्काल पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के समक्ष आत्मसमर्पण वह करें

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायमूर्ति

सही/-
आर. एल. झंवर
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Prashant Kumar

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur